

**FORMAT-C7**

चयनित अभ्यर्थी के लंबित आपराधिक मामलों के सन्दर्भ में सुचना, चयनित अभ्यर्थी के चयन का कारण तथा किसी और व्यक्ति विशेष, जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न लंबित हो, का चयन नहीं करने का कारण।

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2020: in Contempt Petition (C) No. 2192 of 2018 in W.P.C. No. 536 of 2011 के आलोक में निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार।)

**राजनितिक पार्टी- विकासशील इंसान पार्टी**

**चुनाव का नाम- बिहार विधान सभा चुनाव २०२०**

**राज्य का नाम- बिहार**

विधान सभा का नाम- 199- ब्रह्मपुर

अभ्यर्थी का नाम- जयराज चौधरी

क्रम सं.		
1.	लंबित आपराधिक मामले	
	क.) अपराध की प्रकृति	<b>S. 147, 341, 323, 342, भारतीय दंड संहिता, 1860;</b>
	ख.) केस न.	<b>डुमरांव P.S. Case No. 87/2012; Case No. 12773/2014</b>
	ग.) न्यायालय	ACJM-2, व्यवहार न्यायालय, बक्सर
	घ.) क्या आरोप विरचित किये गए हैं?	हाँ
	ङ.) दोषसिद्धि की तारीख, यदि कोई	लागू नहीं
	च.) सज़ा, यदि कोई	लागू नहीं
	छ.) अन्य कोई जानकारी	लागू नहीं
2.	चयनित अभ्यर्थी के चयन का कारण	अभ्यर्थी के विरुद्ध सामान्य व सर्वग्राही आरोप हैं और उनके बाइज़त बरी होने की संभावना है। अभ्यर्थी एक अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं जिसे राजनितिक भागीदारी में एक चेहरे की अत्यंत आवश्यकता है। अभ्यर्थी ने सदैव ही अपने समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रूप से कार्य किया है।
3.	किसी और व्यक्ति विशेष जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न लंबित हो, का चयन नहीं करने का कारण	उक्त विधान सभा क्षेत्र में चयनित अभ्यर्थी के तुलना में किसी ने अपने कर्म के निर्वाहन से अभ्यर्थी जितना प्रभाव नहीं बनाया है।

विधान सभा का नाम- 199- ब्रह्मपुर  
अभ्यर्थी का नाम- जयराज चौधरी

(छोटे सहनी)  
राष्ट्रीय प्रधान महासचिव  
विकासशील इंसान पार्टी